संख्या-154/2026/693 **के-**2/22-3-2025-17(1656)/2022

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-**3** लखनऊ दिनांक **12** मई, 2026

विषयः- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी धर्मेन्द्र पुत्र श्री बाबू राम खागी, निवासी जनपद-मुरादाबाद की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-25779/प्रो0-**3**-फार्म-ए/(एम-13.06.2025) दिनांक-25.06.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी धर्मेन्द्र पुत्र श्री बाबू राम खागी, जो ग्राम विलावाला, थाना-भगतपुर, जनपद-मुरादाबाद का निवासी है। बंदी ने दिनांक 12.08.2007 को वादी के पोते सोनू नामक 12 वर्षीय बालक को अपने साथ मछली पकड़ने के बहाने बुलाकर ले गया व खेत में अप्राकृतिक गुदा मैथुन करने के उपरान्त उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1103/2007, में भा0द0वि0 की धारा-302 व 377 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-10, मुरादाबाद के आदेश दिनांक 07.06.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट **05** बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा कारित अपराध समाज पर व्यापक रूप से प्रभावित करने, बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने से की संभावना से इंकार नहीं किये जाने, बंदी के रिहा होने पर समाज और चुनावी माहौल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी द्वारा दिनांक 02.05.2022 तक 14 वर्ष, 08 माह, **17** दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष, 07 माह, 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है एवं बन्दी की आयु 36 वर्ष, 10 माह, 28 दिन है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में बंदी ने दिनांक 12.08.2007 को वादी के पोते सोनू नामक 12 वर्षीय बालक को अपने साथ मछली पकड़ने के बहाने बुलाकर ले गया व खेत में अप्राकृतिक गुदा मैथुन करने के उपरान्त उसकी गला दबाकर हत्या कारित की गयी। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट **05** बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बन्धित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-**1938** की धारा-**2** के अन्तर्गत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

सिद्वदोष बन्दी धर्मेन्द्र पुत्र श्री बाबू राम खागी को फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गई है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी धर्मेन्द्र (बन्दी संख्या-15100) पुत्र श्री बाबू राम खागी, निवासी जनपद-मुरादाबाद को फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार बंदी के फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में दिनांक 10.09.2024 को पारित आदेशों के सन्दर्भ में।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ

5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-154/2026/693 के-2/22-3-2025-17(1656)/2022

दिनांक- **12** मई, 2026 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी धर्मेन्द्र पुत्र श्री बाबू राम खागी, जो ग्राम विलावाला, थाना-भगतपुर, जनपद-मुरादाबाद का निवासी है। बंदी ने दिनांक 12.08.2007 को वादी के पोते सोनू नामक 12 वर्षीय बालक को अपने साथ मछली पकड़ने के बहाने बुलाकर ले गया व खेत में अप्राकृतिक गुदा मैथुन करने के उपरान्त उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1103/2007, में भा0द0वि0 की धारा-302 व 377 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-10, मुरादाबाद के आदेश दिनांक 07.06.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट **05** बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा कारित अपराध समाज पर व्यापक रूप से प्रभावित करने, बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने से की संभावना से इंकार नहीं किये जाने, बंदी के रिहा होने पर समाज और चुनावी माहौल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जेल रिपोर्ट के अनुसार बन्दी द्वारा दिनांक 02.05.2022 तक 14 वर्ष, 08 माह, **17** दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष, 07 माह, 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है एवं बन्दी की आयु 36 वर्ष, 10 माह, 28 दिन है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में बंदी ने दिनांक 12.08.2007 को वादी के पोते सोनू नामक 12 वर्षीय बालक को अपने साथ मछली पकड़ने के बहाने बुलाकर ले गया व खेत में अप्राकृतिक गुदा मैथुन करने के उपरान्त उसकी गला दबाकर हत्या कारित की गयी। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट **05** बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बन्धित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-**1938** की धारा-**2** के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी धर्मेन्द्र पुत्र श्री बाबू राम खागी को फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गई है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in